बरेली पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 20.07.2025

थाना मीरगंज

थाना मीरगंज #bareillypolice द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान लूट के 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस 315 बोर, लूट की घटना से सम्बन्धित 8350/- रुपये, 01 मोबाईल फोन सैमसंग एवं घटना में प्रयुक्त एक कार ईको बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचयः-

दिनाँक 15.07.2025 को समय करीब 23.30 बजे श्री अब्दुल अतीक पुत्र श्री अब्दुल्ला निवासी मो0 शेखुपुरा कस्वा व थाना मीरगंज जनपद बरेली, सिधौली चौराहे से बरेली जाने को ईको गाड़ी में बैठे थे,जिन्हे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फतेहगंज पश्चिमी टोल के आगे नाजायज अवैध हथियार निकाल कर वादी से 25000/ रूपये व मोबाइल छीनकर फतेहगंज पश्चिमी बाईपास उतार दिया था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय मीरगंज पर मु0अ0स0 378/2025 धारा 309(6) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाहीः-

दिनाक 19.07.2025 को थानाध्यक्ष प्रयागराज सिह मय हमराहीयान मय जीप सरकारी गाड़ी मय चालक के क्षेत्र में हो रही चोरी, लूट की घटना की रोकथाम हेतु पैगानगरी गांव में मामूर थे तभी मुखबिर खास से सूचना मिली कि हाईवे पर स्थित नल नगरिया तिराहे से मीरगंज की तरफ यात्री शेड के किनारे एक संदिग्ध ईको कार खडी है जिसमें कुछ लोग मौजूद हैं जो कोई अपराध करने की फिराक में हैं। मुखबिर की बात का भरोसा कर थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था में लगी अन्य डयूटिओं को जरिये दूरभाष नल नगरिया तिराहे के पास बुलाया गया, तत्पश्चात मुखबिर खास बताये स्थान नल नगरिया तिराहा के पास पहुँचे तो करीब 150 मीटर मीरगज की तरफ एक ईको गाडी दिखाई दी, जिसकी अंदर की एक लाईट जल रही थी, तथा गाडी के अंदर 02 व्यक्ति बैठे दिखाई दे रहे थे। जो पुलिस की जीप देखकर शक होने पर उनके द्वारा अपनी गाडी तेज गति से आगे बढाई तब पुलिस टीम को विश्वास हो गया कि यह लोग संदिग्ध है पुलिस बल द्वारा गाड़ी को पकडने के लिए पीछा करते समय संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा हाईवे स्थित आवंतिका पेट्रोल पंप के बरावर कच्चे रास्ते पर अपनी गाडी मोड दी हाइवे से थोडी दूर अंदर जाकर रास्ता संकरा होने के कारण ईको कार सवार व्यक्ति अपनी गाडी छोडकर उतरकर भागने लगे जब पुलिस द्वारा रुकने को कहा तो भागते हुए व्यक्तियों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी फायरिंग की गयी, पुलिस द्वारा की गयी आत्म सुरक्षार्थ व भागते हुए बदमाशों को गिरफ्तार करने के उदेश्य से नियंत्रित फायर की गयी, जिसमें एक अभियुक्त गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस टीम द्वारा घायल बदमाश तथा अन्य 01 बदमाश को भागते हुए मौके पर आवश्यक बल प्रयोग कर सावधानी पूर्वक समय रात्रि 00.42 बजे गिरफ्तार किया गाय। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सत्यपाल उर्फ पप्पू सैनी पुत्र छोटेलाल नि0 ग्राम मदनापुर थाना शीशगढ जनपद बरेली के दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल अभियुक्त सत्यपाल उर्फ पप्पू सैनी व उसके 01 अन्य साथी विरेन्द्र उर्फ विजेन्द्र पुत्र होरीलाल निवासीगण ग्राम मदनापुर थाना शीशगढ जिला बरेली को मौके से गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त सत्यपाल उर्फ पप्पू सैनी के

कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस नाल में फंसा हुआ 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ तथा अभियुक्तगण के कब्जे से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 378/25 धारा 309(6) बीएनएस से सम्बन्धित लूटे गये 25000/-रूपये में से 8350 रुपये नकद व 01 मोबाईल फोन सैमसंग की पैड बरामद व घटना में प्रयुक्त एक कार ईको नम्बर यू0पी025सीएफ0275 रंग ग्रे बरामद हुई है। घायल अभि० सत्यपाल उर्फ पप्पू सैनी उपरोक्त को पुलिस अभिरक्षा में सीएचसी मीरगंज बरेली प्राथमिक उपचार हेतु भेजा गया है। पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना मीरगंज पर मु०अ०स० 380/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ एवं अभियुक्त का विवरण :-

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि यह गाड़ी कस्बा बहेडी के मो0 रामलीला वार्ड नं0 11 के नरेन्द्र कुमार गुप्ता के पुत्र नितिन गुप्ता से बीस हजार रुपये प्रति माह किराये पर ली है। गाडी का किराया निकालने व अपने शौक पूरे करने के लिए हम दोनो व हमारे 02 अन्य साथी निखिल व विकास निवासी ग्राम खुटिया देवीपुरा थाना बहेड़ी , बरेली के एक साथ मिलकर अकेला आदमी देखकर उससे पूछ लेते हैं कि कहां जाओगे और उसे बैठाकर सुनसान जगह पर रुपये आदि छीनकर उतार देते है। हम लोग इसी गाडी का इस्तेमाल करते है। 04 दिन पहले हम दोनो व हमारे साथी निखिल व विकास चारो लोगो ने मिलकर दिनांक 15.07.2025 को रात्रि सिधौली चौराहे से एक व्यक्ति को बरेली ले जाने की बात कहकर बैठा लिया था। जिससे फतेहगंज पश्चिमी टोल के पास रुपये व मोबाईल छीनकर फतेहगंज पश्चिमी वाईपास पर उतार दिया था। पकडे गए अभियुक्तगण से यहाँ आने तथा बरामद शुदा रुपयों के बारे में पूछा गया तो दोनो ने एकराय होकर बताया कि हम लोग आज यहां चार दिने पहले की तरह लूट करने की योजना गाड़ी में बैठकर बना रहे थे तथा अपने साथी निखिल व विकास का इंतजार कर रहे थे कि आपने पीछा करके पकड लिया तथा जो रुपये यह वही रुपये है जो हमने दिनांक 15.07.2025 को एक व्यक्ति से मोबाइल व 25000/- रूपये लूटे थे। तथा हम चारो ने पांच पांच हजार रुपये बराबर बांट लिये थे तथा 5000 रुपये उसी दिन गाडी के तेल व शराब पीने एवं खाना खाने में खर्च कर लिए थे तथा छीना हुआ एक मोबाईल की पैड हमने गाडी के डैस्कबोर्ड मे छुपाकर रख दिया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. सत्यपाल उर्फ पप्पू सैनी पुत्र छोटेलाल नि0 ग्राम मदनापुर थाना शीशगढ जनपद बरेली उम्र 25 वर्ष (पैर में गोली लगन से घायल)
2. वीरेन्द्र उर्फ विजेन्द्र पुत्र होरीलाल नि0 ग्राम मदनापुर थाना शीशगढ जिला बरेली उम्र 29 वर्ष।

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1.मु0अ0स0 378/25 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस थाना मीरगंज, बरेली।

2.मु0अ0स0 380/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मीरगंज,बरेली (पुलिस मुठभेड़)

आपराधिक इतिहास सत्यपाल उर्फ पप्पू सैनी पुत्र छोटेलाल नि0 ग्राम मदनापुर थाना शीशगढ जनपद बरेली

1.मु0अ0स0 144/2024 धारा 87 बीएनएस थाना शीशगढ़ जनपद बरेली।

बरामदगी का विवरण :-

1.अभियुक्त सत्यपाल उर्फ पप्पू सैनी के कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस नाल में फंसा हुआ व एक जिंदा कारतूस 315 बोर।

2. लूट की घटना से सम्बन्धित कुल 8350 रुपये नकद व 01 मोबाईल फोन सैमसंग की पैड

3.घटना में प्रयुक्त एक कार ईको रंग ग्रे।

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण :-

1.प्रयागराज सिंह थानाध्यक्ष थाना मीरगंज, बरेली।

2. उ0नि0 पंकज कुमार चौकी प्रभारी कस्बा मीरगंज थाना मीरगंज, बरेली।

3. उ0नि0 जयप्रकाश सिंह थाना मीरगंज, बरेली।

4.उ0नि0 अखिल प्रताप सिंह थाना मीरगंज, बरेली।

5.उ0नि0 श्रीपाल सिंह थाना मीरगंज, बरेली।

6.उ0नि0 हीरेन्द्र सिंह थाना मीरगंज, बरेली।

7. हे0का0 418 अनुज मलिक थाना मीरगंज, बरेली।

8. का0 1663 अमित कुमार थाना मीरगंज, बरेली।

9. का0 2867 रजत मलिक थाना मीरगंज, बरेली।

10.का0 अभिषेक सोम थाना मीरगंज, बरेली।